संख्या- 1 /2017/433/30-3-17-11जीई/2011

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खॉ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 **लखनऊ दिनॉक 20 फरवरी, 2017**

विषय - परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत विशेष सचिव, उ0प्र0 सरकार एवं उ0प्र0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के एक-एक पद तथा अपर परिवहन आयुक्त के दो अस्थायी रूप से सृजित किये गये पदों की निरंतरता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के आदेश संख्या-39/2015/1019/30-3-15-11जीई/2011, दिनॉक 08-05-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित पदों को दिनॉक 29-02-2016 तक की अवधि के लिये अस्थायी रूप से सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है :-

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू0 में)
1	2	3	4
1.	विशेष सचिव, परिवहन विभाग	01	18400-22400 (वेतन बैण्ड-4 37400-67000 एवं ग्रेड वेतन 10000/-)
2.	उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण	01	18400-22400 (वेतन बैण्ड-4 37400-67000 एवं ग्रेड वेतन 10000/-)
3.	अपर परिवहन आयुक्त	02	16400-20000 (वेतन बैण्ड-4 37400-67000 एवं ग्रेड वेतन 8900/-)

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अस्थायी रूप से सृजित पदों की दिनॉक 01-03-2016 से 28-02-2017 तक यदि इससे पूर्व इन्हें स्थायी अथवा बिना नोटिस के समाप्त न कर दिया जाय, निरन्तरता बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

संख्या- 1/2017/433/(1)/30-3-2017, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
4- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उ0प्र0, सचिवालय, लखनऊ।
5- कार्मिक अनुभाग-1/कार्मिक नियमावली सेल, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in